झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, रांची।

पत्रांक–03/आ0वि0(DAV, Bundu)–06/2022– 128

प्रेषक,

राकेश चन्द्र,
अवर सचिव।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण, राँची।

राँची, दिनांक– 30-01-2024

विषयः– बिरसा मुण्डा डी0ए0वी0 आवासीय पब्लिक विद्यालय, बुण्डू, राँची में अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित करने के संबंध में।

प्रसंगः– Headmaster, Birsa Munda DAV Residential Public School, Bundu, Ranchi का पत्र संख्या–BMDAVBUNDU/2023-24/219, दिनांक–13.10.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिरसा मुण्डा डी0ए0वी0 आवासीय पब्लिक विद्यालय, बुण्डू, राँची में अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित करने संबंधी प्रासंगिक पत्र इस कार्यालय को प्राप्त है।

प्रासंगिक पत्र के अनुसार बिरसा मुण्डा डी0ए0वी0 आवासीय पब्लिक विद्यालय, बुण्डू, राँची दिनांक–31.03.2025 तक के लिए C.B.S.E. से Affiliated है। Affiliation की अवधि विस्तार के लिए Online आवेदन हेतु Fire Fighting Service Department, Ranchi से Fire Saftey Certificate Upload करना होगा। Fire Saftey Certificate हेतु किए गए आवेदन के क्रम में संबंधित स्थानीय प्राधिकार के द्वारा जाँचोपरान्त सलाह दिया गया है, जो प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए अनुरोध है कि निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बिरसा मुण्डा डी0ए0वी0 आवासीय पब्लिक विद्यालय, बुण्डू, राँची में अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित कराते हुए भुगतान हेतु विपत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जायः–

1. अग्नि सुरक्षा यंत्र (Fire Safety Equipments) का अधिष्ठापन कार्य वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए निविदा/GeM के माध्यम से किया जाएगा।

2. अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा जारी अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह के अनुरूप अग्नि सुरक्षा यंत्र (Fire Safety Equipments) के अधिष्ठापन का कार्य किया जाएगा।

3. अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा यंत्रों (Fire Safety Equipments) का कम से कम 05 (पांच) वर्ष तक Annual Maintainance Contract उक्त कार्य में शामिल होगा।

4. कार्य पूर्णता के उपरान्त राशि भुगतान के पूर्व अग्नि सुरक्षा यंत्र (Fire Safety Equipments) अधिष्ठापन कार्य का निरीक्षण जिला अग्निशमन पदाधिकारी से करवाते हुए यह सुनिश्चित हो लिया जाएगा कि जारी अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह के अनुरूप अधिष्ठापन कार्य हुआ है अथवा नहीं।

5. Fire Safety Equipments अधिष्ठापित करनेवाले कम्पनी के द्वारा विद्यालय के सभी कर्मियों को Fire Safety Equipments के उपयोग हेतु Demo के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन,

30.1.24

अवर सचिव।

ज्ञापांक– 128

राँची, दिनांक– 30-01-2024

प्रतिलिपि– Headmaster, Birsa Munda DAV Residential Public School, Bundu, Ranchi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

30.1.24

अवर सचिव।

ज्ञापांक– 128

राँची, दिनांक– 30-01-2024

प्रतिलिपि– सरकार के संयुक्त सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30.1.24

अवर सचिव।

Birsa Munda DAV Residential Public School
Bundu (Ranchi)
Sponsored by: Welfare Department, Govt. of Jharkhand
Managed by: DAV College Managing Committee, Chitragupta Road, New Delhi-110055
Website : WWW.davbundu.in | E-mail : bmdavbundu@gmail.com | 09430196887
CBSE Affiliation No.: 3430265 School No.: 66464 PS Cell No.: JH-070

952 386

Ref. No.: BMDAVBUNDU/2023-24/ 219

Date: 13/10/2023

The
Tribal Welfare Commissioner
Government of Jharkhand
Kalyan Complex
Morabadi Ranchi

Sub: Installation of firefighting System in School and Hostel Building on an Urgent Basis.

This is to bring to your knowledge that of our school is affiliated to CBSE, New Delhi, till 31st March 2025. We are going to apply for extension of affiliation soon. For online application we have to upload Fire Safety Certificate from Firefighting Service Department, Head Office Jharkhand, Ranchi.

We have already applied for obtaining the same. In this regard after inspection by the local authorities, the department has issued an advisory which is attached here with for your perusal.

As per the MOU the infrastructure of the school and hostel was provided to the school by your esteemed department. So with due respect I request you to do the needful for urgent installation of the Fire Fighting systems as per the advisory of the Firefighting Department, Jharkhand.

Thanking you in anticipation.

With profound regards.

Yours faithfully

13/10/2023

(T. Banerjee)
Headmaster

952
19/10/23

Attachment: Advisory from Firefighting Department, Jharkhand.

ज्ञापांक–5613/तक0 / 2023

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

(385)

दिनांक–30.09.2023

सेवा में,

Tanmoy Banerjee,
Birsa Munda DAV Residential Public School, Bundu,
Birsa Munda DAV Residential Public School, Sonahatu Road,
Near Jamtoli, Newari, Bundu, Ranchi, Jharkhand 835204

बिषय :– **मौजा–NEWARI, प्लाट नं0–84, खाता न0–03, वार्ड नं0–00, थाना–बुण्डू, जिला–राँची में निर्मित G+1 स्कूल भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित निर्मित स्कूल भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, बुण्डू, राँची से निर्मित स्थल का भौतिक जाँच कराई गई। उन्होंने अपने ज्ञापांक–208, दिनांक–18.09.2023 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा की अनुशंसा के आलोक में उक्त स्कूल भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. स्कूल भवन में अग्निशमन कार्य हेतु भवन में कम से कम दस–दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवन के सभी स्टेयरकेश में डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
3. स्कूल भवन के प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
4. 450ली0 / मि0 क्षमता का एक टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
5. इन पम्प को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
6. स्कूल भवन में प्रत्येक स्टेयर केश के प्रत्येक तल पर एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
7. स्कूल परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
   i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
   ii. Fire Bucket - 04 Nos.
   iii. Water CO_2 Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
8. स्कूल भवन में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
9. नर्सरी से कक्षा तीन तक के छात्रो को सतही तल पर बैठाये जाने की व्यवस्था की जाय।
10. ऑडिटोरियम के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
11. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद CO_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
12. स्कूल भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाँय।
13. स्कूल भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
14. स्कूल भवन के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम, ऑडिटोरियम अथवा लैब एवं लाईब्रेरी हो तो उसमें 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद Co_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
15. स्कूल भवन के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
16. स्कूल भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
17. स्कूल भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।

384

18. स्कूल भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
19. अग्नि–सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेंगे।
20. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2023.10.03 10:23:32 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।